




PROPOSED BUILDING PLAN FOR SRI KANHAY YADAV S/O - SRI PACHAN MAHTO
 WARD NO-1/G P.S. TELAIYA P.S NO-244 MAUZA-TELAIIYA KHATA NO-1260 PLOT NO-3680
 DIST- KODERMA

Y LIGHTNING CONDUCTOR




FRONT ELEVATION



SECTION


SECTION




PLAN SCALE-1:20

PLAN SCALE-1:20

- CG-7'-0" x 8'-0"
- D-3'-6" x 7'-0"
- D-3'-0" x 7'-0"
- D-2'-6" x 7'-0"
- W-2'-0" x 4'-0"
- W-3'-0" x 4'-0"
- V-7'-6" x 1'-6"




GROUND FLOOR PLAN 1:8-0



TYPICAL FIRST, SECOND, THIRD FLOOR PLAN

ST SEPTIC TANK
 WHT WATER HARVESTING TANK



SITE PLAN 1:16-0

N₂ ⇒ 25'-0" WIDE ROAD

S₂ ⇒ BLOCK 14 B. LAND OF SMT LAL PARIDEVI

E₂ ⇒ VILLAGE ROAD (MUNICIPALITY ROAD)

W₂ ⇒ BLOCK No. 13. LAND OF MADHU SUDAN SHARMA

- PLOT AREA ⇒ 2169.00 SFT.
- GF COVERED AREA ⇒ 144.00 SFT.
- FF COVERED AREA ⇒ 144.00 SFT.
- SF COVERED AREA ⇒ 144.00 SFT.
- TF COVERED AREA ⇒ 144.00 SFT.
- TOTAL COVERED AREA ⇒ 5656.00 SFT.

DRG NO:- XXIX/34

M. S. ALAM
 CONSTRUCTION & CONSULTANCY FOR
 MAP, DESIGN ESTIMATE & CONSTRUCTION
 OF BUILDING
 AT- GUMO, NEAR MICHAKITE,
 PO:- JHUMRI, TELAIYA,
 DIST:- KODERMA (JHARKHAND)

OWNER'S SIGN-

SIGN:-

कार्यालय, झुमरीतिलैया नगर पर्षद

पत्रांक

दिनांक

प्रथक

कार्यपालक पदाधिकारी

झुमरी तिलैया नगर पर्षद

सवा में

श्रम अधीक्षक

कोडरमा

विषय . भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तथा उपकर नियमावली 1998 के तहत उपकर की राशि जमा करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री/श्रीमती कल्याण शर्मा
पिता/पुत्रि जयशंकर शर्मा वार्ड नं० ०१ (०) ६ (एके) द्वारा खाता नं०
८२, १२६० प्लॉट नं० २५, ३६८ पर कुल ३९५.२३ sqmt में भवन
निर्माण करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। संबंधित जमीन का क्षेत्रफल ४२५२
Sqft होता है जिसका ८००/-रु० प्रति Sqft के अनुसार ३३,९३६००/-
रु० मूल्यांकन निर्धारण किया गया है। निदेशानुसार मूल्यांकन का @ १% सेस के रूप में
कुल ३३,९३६००/- रु० जमा किया जाना है।

आवेदक से प्राप्त नक्शा की फोटो एवं पत्र की प्रति हाथोहाथ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने रत्तर से भी जॉचोपरान्त संलग्न नक्शा के आधार पर नियमानुसार आवश्यक शुल्क जमा करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय तथा जमा की गई राशि की विवरणी के संबंध में अधोहरतादारी को भी प्रतिवेदन करने की कृपा की जाय।

अनु - नक्शा ए.रू प्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
झुमरी तिलैया नगर पर्षद

जापांक १९९० दिनांक २६/११/१५ २५/११/१५

प्रतिलिपि - कल्याण शर्मा पिता पंचम शर्मा वार्ड नं० १०) ६ (ए) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सूचित किया जाता है कि श्रम अधीक्षक कोडरमा से राशि जमा होने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नक्शा स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई प्रारम्भ की जायगी। इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी

झुमरी तिलैया नगर पर्षद

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

लाईसेंस संख्या - 99

राशि - 145000 दिनांक :- 01-12-2014
01-12-2014

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, कोडरमा।

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1986 की धारा-07 की उप धारा-3 और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उपाबंध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स - श्री कल्याण सादर वर्ल्ड-एवम् पब्लिक वर्क्स, इलाहाबाद - मन्गोली, प्रो. - पदमसागर, ज्ञाना - लखनगर, जिला - कोडरमा।

को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

1. नियोजक का नाम एवं पता :- श्री
2. उस स्थान का डाक पता/अवस्थिति जहाँ नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है :- श्री कल्याण सादर वर्ल्ड-एवम् पब्लिक वर्क्स, निवेशक इलाहाबाद, प्लॉट नं०-1/6, पदमसागर, ज्ञाना - लखनगर, जिला - कोडरमा।
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता :- श्री
4. उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किए जाने हैं :- भवन निर्माण कार्य
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या :- 10
6. कार्य के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख :- 1-12-2014 ए 30-11-2015
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियाँ :-

01/12/14
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर
निबन्धन प्राधिकारी
भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार अधिनियम 1996, कोडरमा

उपाबंध

1. उप प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा।
2. किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।
3. शर्त नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत्व की गई फीस अप्रतिदेय होगी।
4. भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा संदेय मजदूरी दर ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का) के तीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहाँ दरें किसी करार समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई है वहाँ इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी।